[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि. (अ)-केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के उपवाक्य (ii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 677 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) मे प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
"बशर्ते कि,-

(i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और

(ii) उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई, 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किए जाने के पश्चात 31 जुलाई, 2018 तक अंत:वर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट क्रैडिट, जो कि बिना उपयोग किए गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी ।"

[फाइल संख्या 354/255/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -।।, खंड -3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 44/2017- केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि. 1390 (अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।